(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली.बानसूर

ठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
पील : 72/2024
रीख रजू : 30.10.2024

निर्णय दिनांक : 06.12.2024

उनवान

1. सत्यवीर पुत्र उमराव सिंह जाति चमार निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली (भू.अ.) जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.

– रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार कोटपूतली आदेश दिनांक 08–02–2016 को निरस्त कर स्वीकृत शुदा नामान्तरणों का रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत्।

उपस्थित अधिवक्तागण :–
01. श्री जोगेन्द्र बंसल – वकील अपीलाण्ट।
02. पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 30.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। बाद तलवी अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जोगेन्द्र बंसल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 1197, 1190, 1184 दिनाक 21–07–2014 वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली का जमाबन्दी सग्रीगेशन तैयार करते समय रिकॉर्ड में अमल से रोके जाने के आदेश दिनांक 8–2–2016 को निरस्त कर स्वीकृत शुदा नामान्तरणों का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 5.58 हैक्टेयर मे से बने हाल खसरा नम्बर 968/426 रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली का अपीलान्ट रिकॉडेड खातेदार काश्तकार काबिज मालिक है। खसरा नम्बर 426 रकबा 5.00 हैक्टेयर किश्म गै.मु. उद्योग श्री सिद्धि विनायक हवर्स प्राइवेट लिमिटेड आफिस 151 पाकेट डी. 11 सैक्टर–7 रोहणी दिल्ली जरिये निर्देशक श्री हेमचन्द गुप्ता पुत्र गुलझारी लाल गुप्ता निवासी 26/ए.1 सेक्टर सं. 8 रोहणी नई दिल्ली व नीतू सिंघल धर्मपत्नि हरिओम सिंघल ई–25/बी विष्णु गार्डन नई दिल्ली के नाम दर्ज हो गया। तथा खसरा नम्बर 968/426 रकबा 0.57 हैक्टेयर सम्पत पुत्र प्रहलाद, ओमकार पुत्र श्योनाथ, भोमाराम वगै० के नाम दर्ज हो गया। जिनकी फौतगी बाद जरिये नामान्तरण संख्या 933 दिनांक 21–03–2012, 1132 दिनांक 28–01–2014, 1133 दिनांक 06–10–2014, 1174 दिनांक 22–04–2014 नानूराम, रोशन लाल, थावरमल, विद्या देवी वगै० के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अपीलान्ट ने उपरोक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 30–05–2014, 02–06–2014, 03–06–2014, 09–06–2014, 20–06–2014 को जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खातेदारान से खरीद कर जरिये नामान्तरण सं 1197, 1190, 1184 दिनांक 21–07–2014 वाके ग्राम केशवना राजपूत तहसील

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

कोटपूतली के द्वारा मिन अपीलान्ट के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी। अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का से अपने नाम की जमावन्दी नहीं मिली तो सम्पूर्ण रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2071–74 सग्रीगेशन प्रोगाम पर जारी जमाबन्दी ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली में दिनांक 08–02–2016 को जाँच कागजी द्वारा आई एल आर पनियाला एवं पटवारी हल्का ने नामान्तरण संख्या 265 (खसरा नम्बर 968/426), 1120, 1125 सहकारी समिति से आवंटन होने के कारण तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर अपील विचाराधीन होने के कारण जमाबन्दी में अमल से रोका गया। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 426 रकबा 5.58 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 968/426 बना है। तथा खसरा नम्बर 426 रकबा 5.00 हैक्टेयर गै.मु. उद्योग हेतु रूपान्तरण भी हो चुका है। तथा खसरा नम्बर 968/426 पूर्ण रूप से पाक–साफ एवं विवाद रहित है इस बाबत किसी भी न्यायालय में कोई अपील विचाराधीन नहीं है ना ही उक्त खसरा नम्बर बाबत किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश या प्रकरण विचाराधीन हो इस बाबत जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय पटवारी हल्का व हल्का गिरदावर व तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनाक 08–02–2016 में उल्लेख किया है तथा ना ही किसी अपील संख्या, अपील मिमो या किसी न्यायालय का निर्णय का भी जमाबन्दी चौसाला बनाते समय उल्लेख नहीं किया है। नामान्तरण सं 1120 व 1125 की उपरोक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है, ना ही विवादित आराजीयत से कोई लेना देना है। उक्त नामान्तरण अन्य भूमियो से सम्बन्धित है। इस प्रकार से भी पटवारी हल्का एवं हल्का गिरदावर द्वारा बिना किसी कारण के उक्त नामान्तरण को अमल से रोका गया है जो अनुचित एवं अवैधानिक है। अतः अमल से रोका जाने का आदेश निरस्तनीय है। कानूनन जब कोई नामान्तरण तहसीलदार या ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृत शुदा नामान्तरण को रोका ना जाकर प्रभावित नामान्तरण को निरस्त किये जाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जा सकती है ना कि नामान्तरण को अमल में रोका जाना चाहिये। अपीलान्ट जमाबन्दी नकल प्राप्त कर देखा कि अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं था बल्कि अपीलान्ट द्वारा क्रय शुदा व्यक्तियों के नाम ही जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज हो गया हैं। जिस पर पूर्ण रिकॉर्ड की नकल दिनांक 16–03–2021 को प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। जब किसी भी गांव की जमाबन्दी चौसाला तैयार किया जाता है तो वह मज में आम में चौपाल पर पहुंचकर पढ़ा, सुना जाकर हितबद्ध व्यक्ति या व्यथित पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये जाते है। जबकि मिन अपीलान्ट को ना तो उक्त नामान्तरण बाबत कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया बल्कि हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर द्वारा जमाबन्दी चौसाला ग्राम की चौपाल पर न बनाई जाकर अपने कार्यालय पर ही बनाई गई है। जो अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में बनायी गई है ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट के खसरा नम्बर 968/426 बाबत अमल से रोका जाना विधिवत ना होकर एक पक्षीय व मन–माने तरिके से तैयार जमाबन्दी चौसाला अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर खसरा नम्बर 968/426 रकबा 0.58 हैक्टेयर की हद तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 08–02–2016 जो अवैधानिक तरिके से स्वीकृत शुदा नामान्तरण सं. 1197, 1190, 1184 दिनाक 21–07–2014 वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली का जमाबन्दी सग्रीगेशन तैयार करते समय रिकॉर्ड में अमल से रोके जाने के आदेश दिनांक 8–2–2016 को निरस्त कर स्वीकृत शुदा नामान्तरणों का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि वाकै ग्राम केशवाना राजपूत के आराजी खसरा नम्बर 968/426 रकबा 058 हैक्ट० में सेग्रीगेसन से पूर्व रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में जांच कागजी रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण संख्या 265 में नामान्तकरण परत पर नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सहकारी समिति के खसरा नम्बर 426 में से खसरा नम्बर 968/426 रकबा 0.58 हैक्ट० को दिनांक 13–05–2014 को बिना किसी आदेश के गैर खातेदार के स्थान पर खातेदारी हक देने का अंकन नामान्तकरण परत पर किया गया। आराजी खसरा नम्बर 426 मिसल सम्वत 2037–56 के आधार पर एक सहकारी समिति को आवटित भूमि थी, जिसमें आवंटित व्यक्ति उक्त सहकारी समिति के सदस्य मात्र थे, जिन्हे भी कॉपरेटिव रूप में भूमि काश्त हेतु आवंटित हुई थी जो राजकीय सम्पत्ति थी, जिस पर किसी एकल खातेदार का हक नहीं है. जिसके कारण आराजी खसरा नम्बर 968/426 में नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा किए गए दिनांक 13–05–2014 के अंकन व इसके पश्चात् हुए विक्रय पत्र के नामान्तकरण का अमल रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के दोरान रोका गया। इस प्रकार अपीलाण्ट के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सहकारी समिति के खसरा नम्बर 426 में से खसरा नम्बर 968/426 रकबा 0.58 हैक्ट० को नामांतकरण संख्या 265 दिनांक 13–05–2014 को बिना किसी आदेश के गैर खातेदार के स्थान पर खातेदारी हक देने का अंकन नामान्तकरण परत पर किया गया, जो अवैधानिक और नियम विरूद्ध है। चूंकि नामान्तकरण संख्या 265 दिनांक 13.05.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश वाद संख्या 301/92 निर्णय दिनांक 28.12.1992 की पालना में दर्ज किया गया था, उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय दिनांक 28.12.1992 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नम्बर 426 में से 0.58 है0 भूमि के अलग से बटा नम्बर दर्ज करने के ही आदेश दिये गये थे। खातेदारी दर्ज करने के कोई आदेश नहीं दिये थे, जबकि तत्कालीन नायब तहसीलदार कोटपूतली ने उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय दिनांक 28.12.1992 की पालना में दर्ज नामान्तकरण संख्या 265 दिनांक 13.05.2014 में खातेदारी देने के आदेश पारित किये गये है जो कि गलत है। इस प्रकार तहसीलदार कोटपूतली ने नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा जारी गलत आदेश का अमल दरामद रोके जाने हेतु पारित आदेश दिनांक 08.02.2016 सही होने से राजकीय पैरोकार की बहस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 8–2–2016 को पारित आदेश सही साबित होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली को ओदशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा बिना किसी आदेश के खातेदारी दर्ज करने के विरूद्ध नामांतकरण संख्या 265 दिनांक 13.05.2014 को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजाही करे एवं संबंधित तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरूद्ध बिना आदेश के खातेदारी दर्ज करने के संबंध में पारित किये गलत निर्णय के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करे। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़